

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 763 / पीजी / इन्टर्न / 2021

भोपाल, दिनांक 09 / 07 / 2021

// नोटिस //

इंटरनशिप ट्रांसफर के संबंध में आवश्यक सूचना

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा Compulsory Rotational Internship हेतु जारी एडवाइजरी दिनांक 31/03/2021 के दृष्टिगत निम्न आवेदकों के इंटरनशिप ट्रांसफर हेतु आवेदन पर विचार किया जाएगा :-

- 1- आवेदक जिसके द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण किया हो एवं वह राज्य के बाहर NMC से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल में Compulsory Rotational Internship करना चाहता है ।
- 2- आवेदक जिसके द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश से बाहर किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण की हो एवं वह मध्यप्रदेश राज्य में मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल में Compulsory Rotational Internship करना चाहता है ।

यहां स्पष्ट किया जाता है कि जिस अभ्यर्थी द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस उत्तीर्ण किया होगा, उसे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ही इंटरनशिप ट्रांसफर की पात्रता होगी एवं जिस आवेदक द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस उत्तीर्ण किया होगा उसे निजी चिकित्सा महाविद्यालय में इंटरनशिप ट्रांसफर की पात्रता होगी । आवेदक को इंटरनशिप की अवधि में Sarthak portal पर प्रतिदिन अपनी उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा । इंटरनशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट आवेदक को उसी स्थिति में जारी किया जाएगा, जब उसकी उपस्थिति MCI Graduate Medical Regulation, 1997 (Amended upto 2018) के अनुसार पूर्ण होगी ।

आवेदक को अपना आवेदन संचालनालय की ई-मेल आई.डी. [dme12001@yahoo.com](mailto:dme12001@yahoo.com). पर भेजना होगा । आवेदन के परीक्षण उपरांत उर्पयुक्त पाये जाने पर आवेदक को सूचना दी जाएगी जिसके उपरांत इंटरनशिप ट्रांसफर हेतु आवेदक संचालनालय की वेबसाईट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध इंटरनशिप ट्रांसफर लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकेगा ।

  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश

दूरभाष/Phone :25367033, 25367035, 25367036  
ई-मेल/E-mail: [secy-mci@nic.in](mailto:secy-mci@nic.in)

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका, फेस1-, नई दिल्ली77-  
Pocket- 14, Sector- 8,Dwarka,  
Phase – 1, New Delhi-77

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग  
**NATIONAL MEDICAL COMMISSION**

No. NMC-34(41)/UG/Gen/2021-Med./ 007175  
**ADVISORY**

Date: 31/03/2021

**Compulsory Rotational Internship**

The NMC has received several queries related to completion of Internship in institutions other than where the students have been enrolled for their MBBS training especially due to the COVID pandemic. The Under Graduate Medical Education Board of the Commission after carefully considering the representations and the existing regulatory provisions, has decided that Internship should be completed in the Teaching hospital affiliated to the Medical institutions where the student is enrolled for his/her MBBS training. In the event of any difficulty due to the current pandemic, it can be completed at another NMC approved medical college hospital subject to the satisfaction of the College authorities and the University concerned where the student is enrolled for the MBBS training. Further, if allowed to complete the internship in another approved medical institution, there should be no charges levied on the student for completing the internship as it is a part of the MBBS training.

*Aruna V. Vanikar*

(Dr. Aruna V. Vanikar)  
President  
Under Graduate Medical Education Board  
NMC